E Mail: se.hapur@pvvnl.org
: edchapur1@gmail.com

CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
Office of the Superintending Engineer
विद्युत वितरण मण्डल
Electricity Distribution Circle,
ए–ब्लॉक, मेन चौराहा, आवास विकास कालोनी,
A-Block, Main Choraha, Avas Vikas Colony,
मेरठ रोड़, हापुड़, जिला–हापुड़ (यू0पी0)।
Meerut Road, Hapur, Distt.-Hapur (U.P.).

पत्रांक 1493 /वि0वि0म0,हा0/विज्ञापन दिनांक 27/06/2025

विषयः– विज्ञापन आदेश।

विज्ञापन व्यवस्थापक
विराट वैभव,
दिल्ली एन0सी0आर0

(प्रथम/द्वितीय प्रति)

विज्ञापन व्यवस्थापक
अमर उजाला,
दिल्ली संस्करण।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 28.06.2025 तक (किसी अंक में), कम से कम स्थान में हिन्दी समाचार पत्रों के लिये 8–10 प्वाइंट में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 6–8 प्वाइंट में रनिंग मैटर में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैडिंग के नीचे के नाम व पता यथा सम्भव एक लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें। विज्ञापन में शीर्ष पर निगम का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक भी सबसे छोटे पठनीय टाईप में अवश्य प्रकाशित करें।

1. वर्गीकृत विज्ञापन अथवा निविदा शुद्धिकरण/वैधानिक सूचनाओं को 1 कॉलम (चौड़ाई 4 से0मी0) में प्रकाशित करें निगम का नाम "पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0" 14फोन्ट साईज B/W पट्टी तथा बोल्ड शब्दों (चौड़ाई 1 से0मी0) में प्रकाशित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निमग लि0, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान संभव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा पत्र की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद निगम की पूर्वानुमति के बिना कदापि प्रकाशित न करें।
6. यदि आपकी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन डी0ए0वी0पी0 निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकार न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
7. विज्ञापन के अंत में सबसे छोटे टाइप में "विद्युत हैल्पलाईन 1800–180–3002 (मेरठ), 1800–180–8752 (लखनऊ)" तथा "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाये" का नारा अवश्य प्रकाशित करें।
8. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका अथवा निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नकः विज्ञापन

भवदीय

(एस0के0 अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता
प0वि0वि0नि0लि0.
विद्युत वितरण मण्डल
हापुड़

पत्रांक 1493 /वि0वि0म0,हा0/विज्ञापन तद्दिनांक– 27.06.2025

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), बुलन्दशहर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बुलन्दशहर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क अनुभाग, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण/परीक्षण खण्ड–हापुड़/पिलखुआ एवं गढ़मुक्तेश्वर।
5. नोटिस बोर्ड।

(एस0के0 अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता
प0वि0वि0नि0लि0.
विद्युत वितरण मण्डल
हापुड़

Scanned with OKEN Scanner